आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

केबिन हेतु

आवेदन पत्र

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के '**M - Block**' में स्थित **केबिन** को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. केबिन की श्रेणी :
   (जो लागू हो, सिर्फ एक पर टिक √ कर दे)
   (1) लॉ बुक सेलर हेतु ______
   (2) लाई चना एवं पॉपकार्न हेतु ______
2. प्रार्थी का नाम / फर्म का नाम (जिसके नाम आवेदन किया जाना है) : ______________________
3. पिता / पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम : ______________________
4. लिंग : ______________________
5. जन्मतिथि (उम्र) : ______________________
6. पता
   वर्तमान पता – : ______________________
   स्थायी पता – : ______________________
7. मोबाईल नम्बर : ______________________
8. ई–मेल आई0डी0 : ______________________
9. राष्ट्रीयता : ______________________
10. पहचान पत्र का विवरण : ______________________
11. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से डाउन लोड किया गया है तो :
    डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम ______________________
    डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम ______________________
    डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या ______________________
    डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि ______________________

दिनांक :
संलग्नक

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

नोट : (1) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राईविंग लाईसेन्स / पैन कार्ड की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

(2) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 20.09.2025 समय दोपहर 11 से 2 बजे तक है।

(3) उपरोक्त दी गयी जानकारी केबिन के आवंटन के लिए प्रयोग की जाएगी।

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

<u>दुकान हेतु</u>

<u>आवेदन पत्र</u>

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के '**M - Block**' में स्थित **<u>दुकान</u>** को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. दुकान की श्रेणी :
(जो लागू हो, सिर्फ एक पर टिक √ कर दे)
(1) मोबाइल/लैपटॉप एक्सेसरीज हेतु ______
(2) रेप्यूटेड लॉ बुक सेलर हेतु ______
(3) इन्श्योरन्स एजेन्ट/म्यूचुअल फन्ड एडवाईज्र हेतु ______
(4) कन्फेक्शनरी / बेकरी हेतु ______

2. प्रार्थी का नाम/फर्म का नाम (जिसके नाम आवेदन किया जाना है) : ______________________

3. पिता/पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम : ______________________

4. लिंग : ______________________

5. जन्मतिथि (उम्र) : ______________________

6. पता
वर्तमान पता – : ______________________
स्थायी पता – : ______________________

7. मोबाईल नम्बर : ______________________

8. ई–मेल आई0डी0 : ______________________

9. राष्ट्रीयता : ______________________

10. पहचान पत्र का विवरण : ______________________

11. यदि आवेदन पत्र वेब साइट से डाउन लोड किया गया है तो :
डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम ______________________
डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम ______________________
डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या ______________________
डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि ______________________

दिनांक :
संलग्नक

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

<u>नोट :</u>

(1) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राईविंग लाईसेन्स / पैन कार्ड की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

(2) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 20.09.2025 समय दोपहर 11 से 2 बजे तक है।

(3) उपरोक्त दी गयी जानकारी दुकान के आवंटन के लिए प्रयोग की जाएगी।

<u>इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ</u>

<u>नीलामी सूचना</u>

नीलामी की तिथि एवं समय : दिनांक 22.09.2025 (सोमवार) एवं प्रातः 11:00 बजे

नीलामी का स्थान : एम–ब्लॉक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय परिसर में स्थित 'एम' ब्लाक की **04 दुकानों** एवं **02 केबिनों** को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि हेतु अनुज्ञप्ति पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

उपरोक्त दुकानों एवं केबिनों की नीलामी दिनांक 22.09.2025 (सोमवार) को दोपहर 11.00 बजे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लाक परिसर में की जायेगी। दुकानों एवं केबिनों के उपयोग व नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्ते आवेदन पत्र के साथ संलग्न है जिन्हे इच्छुक व्यक्ति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 17.09.2025 से 20.09.2025 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक रूपये 100.00 का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 17.09.2025 से 20.09.2025 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध है तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ <u>'सीनियर रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, लखनऊ बेन्च, लखनऊ'</u> के नाम रूपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान/केबिन के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दिनांक – 16/09/2025

Sd/-
निबन्धक (न्या0) (प्रशासन)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

Shops in ‘M’ Block -

Sl. No.	Shop No.	Total Area of the Shop (in square feet)	Nature	Minimum Bid Price (in Rs.) for 6 months (i.e. from 01.10.2025 to 31.03.2026)
1	4	185.82	Mobile/Laptop Accessories Shop	Rs. 1,25,000/-
2	6	182.50	Reputed Law Book Shop	Rs. 1,25,000/-
3	101	174.21	Insurance Agent/Mutual Fund Advisor Shop	Rs. 1,25,000/-
4	106	182.50	Confectionery/ Bakery Shop	Rs. 1,25,000/-

Cabins in ‘M’ Block -

Sl. No.	Cabin No.	Total Area of the Cabin (in square feet)	Nature	Minimum Bid Price (in Rs.) for 6 months (i.e. from 01.10.2025 to 31.03.2026)
1	25	38	Law Book Seller	Rs. 15,322/-
2	121	38	Lai Chana & Pop Corn	Rs. 24,250/-

Terms and Conditions of Auction

1. The Shops/Cabins will be auctioned for grant of License for 06 months (i.e. from 01.10.2025 to 31.03.2026) on 'as is where is' basis.

2. For participating in the auction, the bidder shall have to deposit **Rs.30,000.00** (Rupees Thirty Thousand only) for Shops and **Rs.10,000.00** (Rupees Ten Thousand only) for Cabins in cash as earnest money, which after completion of the auction, shall be returned to unsuccessful bidders as per rules and in case of successful bidder, the earnest money will be adjusted against his/ her license fee.

3. No person having a criminal history/ antecedent shall be eligible to participate in the auction proceedings.

4. For participating in the Auction, the interested persons shall have to apply on the prescribed Application Form of Rs.100.00 (Rupees One Hundred only), which may be obtained from the prescribed desk of the Pass Section on any working day from 17.09.2025 to 20.09.2025 from 11.00 A.M. to 02.00 P.M. and duly filled application forms may be submitted from 17.09.2025 to 20.09.2025 from 11.00 A.M. to 02.00 P.M. in the Pass Section.

   The said Application Form will also be available on the official website of the Allahabad High Court *(www.allahabadhighcourt.in)* and may be downloaded from there. But, in such condition, the applicant is required to submit the requisite amount of Rs.100.00 (Rupees One Hundred Only) through the Bank Draft drawn in favour of **Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow** .

5. Shops/Cabins, which are to be auctioned, may be inspected by the applicants at M-Block of High Court Building on 20.09.2025 during working hours after duly obtaining the pass/permission from Gate No. 6. It will be the duty of the applicants to carry out the complete inspection of the Shops/Cabins included in the Auction, before bidding. Any information regarding the auction may be obtained from the prescribed desk of the Pass Section on any working day from 17.09.2025 to 20.09.2025 from 11.00 A.M. to 02.00 P.M.

6. Minimum Bid Price for each Shop and Cabin is tabulated below, for the period of 06 months w.e.f. 01.10.2025 till 31.03.2026 and the person, who would offer the highest bid for the concerned Shop/Cabin, will be allotted the same.

Sl. No.	**Shop No.**	**Type of Shop**	***Minimum Bid Price (in Rs.) for 6 months (w.e.f. 01.10.2025 till 31.03.2026)**
1	4	Mobile/Laptop Accessories Shop	Rs. 1,25,000 (Rupees One Lakh Twenty Five Thousand Only)
2	6	Reputed Law Book Shop	Rs. 1,25,000 (Rupees One Lakh Twenty Five Thousand Only)
3	101	Insurance Agent/Mutual Fund Advisor Shop	Rs. 1,25,000 (Rupees One Lakh Twenty Five Thousand Only)
4	106	Confectionery/ Bakery Shop	Rs. 1,25,000 (Rupees One Lakh Twenty Five Thousand Only)

Sl. No.	**Cabin No.**	**Type of Cabin**	***Minimum Bid Price (in Rs.) for 6 months (w.e.f. 01.10.2025 till 31.03.2026)**
1	25	Law Book Seller	Rs. 15,322 (Rupees Fifteen Thousand Three Hundred Twenty Two Only)
2	121	Lai Chana & Pop Corn	Rs. 24,250 (Rupees Twenty Four Thousand Two Hundred Fifty Only)

- Minimum Bid Price rounded off.

7. The bidder, whose bid is accepted, will be required to deposit 25 percent of the Amount of Bid in the form of Cash, after adjusting the earnest money, immediately. If 25 percent amount of the bid amount is not deposited immediately by the bidder, then the bid shall

be deemed cancelled automatically and the earnest money deposited by him/her will be forfeited.

In this situation, the Auction Committee shall have the right to offer the Shop/Cabin to the next highest bidder and such bidder shall have to comply with the above conditions and in case of his/ her default, the concerned Shop / Cabin may be auctioned afresh as per rules.

8. The successful bidder will have to deposit the remaining 75 percent of the Amount of Bid through Bank Draft drawn in favour of ***Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow*** along-with duly sworn Affidavit bearing self declaration for having no criminal antecedent(s), within 15 working days from the date of order of allotment of Shop/ Cabin, in case of non-compliance of the above, the amount deposited by the allottee shall be forfeited in favour of the Hon'ble High Court.

9. The successful bidder shall have to deposit the 'Indemnity Amount' of **Rs.25,000.00** (Rupees Twenty Five Thousand only) for Shop and **Rs.10,000.00** (Rupees Ten Thousand only) for Cabin within 15 working days from the date of order of allotment of Shop/ Cabin. The said 'Indemnity Amount' will be returned to the Allottee after adjusting the dues, if any, of electricity charges and others whenever the Allottee vacates his Shop/ Cabin.

10. Before taking over the possession of Shop/Cabin, the successful bidder shall have to sign/enter into a License agreement with the High Court on the Non Judicial Stamp paper of **Rs. 100/-** (Rupees One Hundred only).

11. Successful bidder, to whom the Shop/Cabin is allotted, shall have to vacate the Shop/Cabin by removing all his belongings before 04.30 p.m. on 31.03.2026, if the term is not extended in his/ her favour by this Hon'ble Court, failing which the High Court Administration will take over the possession of the Shop/Cabin. In case, the licensee of the Shop / Cabin continues possession of Shop / Cabin even after 31.03.2026 then the due amount will be recovered by way of recovery as arrears of Land Revenue through Collector as decided by the Court.

12. The Allottee shall use the Shop/Cabin only for the purpose, for which it has been auctioned and not for any other purpose and also the Allottee shall not sub-let the same to any other person.

13. The Allottee is bound to maintain the Shop/Cabin in neat and clean condition. For this purpose, the Allottee will have to keep a dustbin of appropriate size for disposal of all kind of wastes.

14. The Allottee shall not alter the structure of the Shop/Cabin in any manner and will not cause any damage to the Shop/Cabin.

15. The Allottee shall be responsible for safety of the articles kept in the Shop/Cabin allotted to him/ her and the High Court, under no circumstances, shall be liable for theft, burglary, fire or any other incident, if any.

16. The Shop/Cabin may be used from 9.00 A.M. to 7.00 P.M. on all working days.

17. A sub-meter has been installed for the electricity being used in the Shop and the allottee of the Shop has to deposit the electricity charges every month, as per the meter reading, in accordance with electricity rates prevailing in Uttar Pradesh and the Cabin holder will be required to deposit the fixed electricity charges calculated as per prevailing rate in the Cash Section of the High Court detailed below : -

    (i) Rs.110/- (Rupees One Hundred Ten Only) per month for utilizing the benefits of bulbs and fans.

    (ii) Rs.330/- (Rupees Three Hundred Thirty Only) per month for utilizing the computer etc. (in case, the the allottee uses computer etc.).

18. A normal electric connection has been provided in the Shops. If any allottee intends to install some specific electrical appliances which requires special electric fitting, the Allottee may arrange the same at his/her own expenses with prior permission of the Hon'ble High Court and the same will be un-installed at the time of vacating the Shop by the allottee at his/her own cost.

19. No person shall be allotted more than one Shop/Cabin.

20. With regard to Photocopy Shop, any person to whom the Shop is allotted on license, can keep a maximum of three photocopy machines in a Shop.

21. The High Court Administration shall have the right to carry out the inspection of the premises of any Shop/Cabin without any prior notice on any day.

22. In case of non-compliance of any of the above-mentioned conditions by the Allottee, the High Court reserves the right to revoke the license.

23. The Auction Committee reserves the right to reject any bid without assigning any reason. The acceptance of the final bid shall be subject to the approval of the Competent Authority.

24. In case of any dispute with regard to auction proceedings, the jurisdiction shall be at Lucknow.

25. Any other terms and conditions, if required, shall be disclosed by the Auction Committee, just before the start of the Auction.

26. The number of Shops and Cabins to be auctioned may vary subject to the availability of Shops and Cabins on the date of Auction.

27. The Allottee shall inform this Hon'ble Court about his/ her criminal history, including FIR(s), arrest(s), prosecution(s), detention(s), conviction(s) etc., if any, along-with the particulars, thereof. The licensee shall disclose/ inform any such incident to this Hon'ble Court forthwith, if it occurs during his/ her license term. Non-disclosure of any such incident shall be the ground for licensor to terminate the license.

Sd/-

Registrar (J) (Admin.)
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow

<u>नीलामी की शर्तें</u>

1. दुकान/केबिन, 'जहॉ है जैसी है' की स्थिति में दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक (छः माह हेतु) अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेंगी।

2. दुकानों के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत राशि रू0 30,000/— (रूपया तीस हजार मात्र) एवं केबिनों के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत राशि रू0 10,000/— (रूपया दस हजार मात्र) नकद जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम जमानत राशि उसके अनुज्ञप्ति शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी।

3 कोई भी व्यक्ति जिसका आपराधिक इतिहास हो, वह नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है।

4 नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन—पत्र पर, जिसका मूल्य रूपये 100.00 (रूपया एक सौ मात्र) प्रति आवेदन पत्र होगा, आवेदन करना होगा जोकि माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 17.09.2025 से 20.09.2025 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है तथा पूर्ण रूप से भरे जाने के पश्चात् इन आवेदन पत्रों को दिनांक 17.09.2025 से 20.09.2025 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

उक्त आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध है तथा वहॉ से डाउन लोड भी किया जा सकता है, किन्तु डाउनलोड किये गये <u>आवेदन पत्र के साथ 'सीनियर रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, लखनऊ बेन्च, लखनऊ' के नाम रूपये 100.00 का बैंक ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान/केबिन के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।</u>

5 नीलाम होने वाली दुकानों/केबिनों को दिनांक 20.09.2025 को गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास/अनुमति प्राप्त कर, माननीय उच्च न्यायालय में स्थित 'एम' ब्लाक में देखा जा सकता है तथा आवेदक का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त दुकानों/केबिनों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 17.09.2025 से 20.09.2025 तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

6 सभी दुकानों और केबिनों की बोली 06 महीनों हेतु (01.10.2025 से 31.03.2026 तक) न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञप्ति शुल्क) निम्नलिखित होगा और जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली बोलेगा उसको वो दुकान / केबिन आवन्टित कर दी जाएगी : –

दुकान की सूची : –

क्रम सं0	दुकान सं0	दुकान की प्रकृति	* न्यूनतम निर्धारित मूल्य 06 माह के लिए (रूपये में)
1	4	मोबाइल / लैपटॉप एक्सेसरीज	Rs. 1,25,000/-
2	6	रेप्यूटेड लॉ बुक सेलर	Rs. 1,25,000/-
3	101	इन्श्योरन्स एजेन्ट / म्यूचुअल फन्ड एडवाईज़र	Rs. 1,25,000/-
4	106	कन्फेक्शनरी / बेकरी	Rs. 1,25,000/-

केबिन की सूची : –

क्रम सं0	दुकान सं0	दुकान की प्रकृति	* न्यूनतम निर्धारित मूल्य 06 माह के लिए (रूपये में)
1	25	लॉ बुक सेलर	Rs. 15,322/-
2	121	लाई चना एवं पॉपकार्न	Rs. 24,250 /-

*** दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक**

7 जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की 25 प्रतिशत धनराशि (जमानत धनराशि समायोजित करने के पश्चात्) तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नही की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व बोलीदाता द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

इस स्थिति में नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित दुकान / केबिन को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकता है तथा ऐसे बोलीदाता को बोली से सम्बन्धित उपरोक्त शर्तों का पालन करना होगा। यदि दूसरे नम्बर का बोलीदाता भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित दुकान / केबिन की नीलामी नये सिरे से की जाएगी।

8 सफल व्यक्ति को शेष 75 प्रतिशत धनराशि ***'सीनियर रजिस्ट्रॉर, हाई कोर्ट, लखनऊ बेन्च, लखनऊ'*** के पक्ष में निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम द्वारा अलॉटमेन्ट आर्डर के दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके पहले से जमा धनराशि भी माननीय उच्च न्यायालय के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ एक स्व घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेयरेशन) संलग्न करना होगा, यह बताते हुए कि उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है।

9 नीलामी में सफल व्यक्ति को अनुज्ञप्ति शुल्क के साथ रू0 25,000/– (पच्चीस हजार मात्र) दुकान के लिए तथा रू0 10,000/– (दस हजार मात्र) केबिन के लिए 'इन्डेमनिटी धनराशि' के रूप में अलॉटमेन्ट आर्डर के दिनांक से 15 कार्य दिवस की अवधि के अन्दर जमा करना होगा। उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2025–2026 की समाप्ति पर विद्युत बिलों के भुगतान एवं अन्य देयकों में समायोजित कर ली जाएगी। कोई देय शेष न रहने की स्थिति में उक्त 'इन्डेमनिटी धनराशि' लाईसेंस धारक को उसके दुकान / केबिन को खाली करने पर वापस कर दी जाएगी।

10 बोली में सफल व्यक्ति को रूपये 100.00 (रूपया एक सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर माननीय उच्च न्यायालय के साथ अनुज्ञप्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।

11 यदि बोली में सफल व्यक्ति की दुकान/केबिन का लाईसेन्स अवधि विस्तार, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति को दिनांक 31.03.2026 तक दुकान/केबिन से अपना सामान हटा कर सायं 04.30 बजे तक या उससे पहले दुकान/केबिन खाली कर देना होगा। अन्यथा कोर्ट द्वारा दुकान/केबिन का कब्जा ले लिया जायेगा। इसके उपरान्त भी, किसी भी स्थिति में, दुकान/केबिन का कब्जा लाईसेंस धारक द्वारा न छोडे जाने पर शेष देय धनराशि कलेक्टर के माध्यम से भू–राजस्व की भॉति माननीय न्यायालय के निर्दे ानुसार वसूल की जाएगी।

12. जिस उद्देश्य हेतु दुकान/केबिन की नीलामी की जायेगी, वह दुकान/केबिन उसी उद्देश्य हेतु केवल सफल बोलीदाता द्वारा ही प्रयोग की जायेगी एवं बोली में सफल व्यक्ति अनुज्ञप्ति पर दुकान/केबिन प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दुकान/केबिन हस्तांतरित नही कर सकता है।

13. बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन व उसके आस पास के स्थानों को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा। बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन में उचित आकार का कूड़ेदान रखेगा तथा कूड़ा–कचरा उसी कूड़ेदान मे डालेगा।

14. बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन की भौतिक स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नही करेगा और न ही दुकान/केबिन को कोई नुकसान पहुचायेगा।

15. दुकान/केबिन में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लाईसेंस धारक की होगी तथा माननीय उच्च न्यायालय किसी भी दशा में चोरी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नही होगा।

16. दुकान/केबिन का संचालन प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 तक किया जा सकेगा।

17. दुकान मे प्रयोग की जाने वाली बिजली के लिये अलग से एक सब–मीटर लगा हुआ है तथा दुकान लेने वाले व्यक्ति को मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल प्रति माह उ0 प्र0 में प्रचलित बिजली दर के अनुसार उच्च न्यायालय के कैश विभाग में जमा करना होगा। केबिन के आवन्टी को उच्च न्यायालय के कैश अनुभाग में प्रचलित दर के अनुसार निर्धारित बिजली शुल्क जमा करना होगा।

I	रू0 110/– प्रति माह :– बल्ब व पंखे का उपयोग करने हेतु।
II	रू0 330/– प्रति माह :– कम्प्यूटर इत्यादि का उपयोग करने हेतु।

18. दुकानों में सामान्य बिजली कनेक्शन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह मा0 उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबंध कर सकता है। इस स्थिति में दुकान को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को अपने खर्चे पर हटाना होगा तथा ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नही कारित की जायेगी।

19. एक व्यक्ति को केवल एक ही दुकान/केबिन अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी।

20. फोटोकापी की दुकान/केबिन के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति, जिसको दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जाती है, वह दुकान/केबिन में <u>अधिकतम तीन फोटोकापी मशीन ही रख सकता है</u>।

21. माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी दिन, किसी भी दुकान/केबिन के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

22. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है तो उच्च न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

23. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे तथा अन्तिम बोली सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।

24. नीलामी प्रक्रिया के विवाद की स्थिति में कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

25. नीलामी के ठीक पूर्व नीलामी समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों की जानकारी आवश्यकता पड़ने पर दी जायेगी।

26. नीलामी की जाने वाली दुकानों और केबिनों की संख्या नीलामी वाले दिन दुकानों और केबिनों की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तित हो सकती है।

27. नीलामी में सफल व्यक्ति अपने आपराधिक इतिहास के बारे में इस माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करेगा जिसमें एफ0आई0आर0, गिरफतारी, अभियोजन, हिरासत, दोषसिद्धि आदि, यदि कोई हो, उसके विवरण के साथ शामिल होगें। नीलामी में सफल व्यक्ति ऐसे किसी भी घटना की सूचना तुरन्त इस माननीय उच्च न्यायालय को देगा। ऐसी किसी भी घटना का खुलासा न करना, इस माननीय न्यायालय के लिए लाईसेन्स समाप्त करने का आधार होगा।

Sd/-

निबन्धक (न्या0) (प्रशासन)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ